

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित व्याख्याता भर्ती परीक्षा-2015 के अभ्यर्थियों के चयनोपरान्त इस कार्यालय को भिजवाई गई अभिस्तावना के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक:-शिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/तत्पश्चात् आरपीएससी से अभिस्तावना, आवेदन पत्रों की जांच एवं रिशफल परिणाम एवं विविध कारणों के आधार पर शेष अभ्यर्थियों के आदेश दिनांक 01.07.2017 के पश्चात् जारी किये गये। जिसके क्रम में अन्तिम नियुक्ति आदेश दिनांक-16.09.19 को जारी किया गया। इस प्रकार दिनांक 01.07.2017 के पश्चात् जारी होने वाले आदेशों से संबंधित अभ्यर्थियों (मनोज कुमार व्याख्याता अर्थशास्त्र) द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 6220/2020 मनोज कुमार व अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर कर आरपीएससी वरीयता में स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य पारिणामिक लाभ दिये जाने की मांग की गई।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने एस.बी.सिविल याचिका संख्या 6220/2020 मनोज कुमार व अन्य बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.07.2020 में याचिका को एस.बी.सी.या.स. 21214/2017 ओम प्रकाश व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2017 तथा एस.बी.सी.या.स. 3247/2015 हेमलता श्रीमाली व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 01.04.2015 से कवर्ड करते हुए आदेशित किया है "In the result, this writ petition is allowed and the respondents are directed to treat the petitioners senior to respondents No.4 to 8 as per their placement in the merit list."

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थी मनोज कुमार व अन्य द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये जिनमें मुख्य रूप से इनके द्वारा आदेश दिनांक 01.07.2017 के अनुसार स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक नियुक्त कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ की मांग की है।

क्र. सं.	नाम कार्मिक	जन्म दिनांक	मेरिट नं०	व्याख्याता पद पर नियुक्ति आदेश दिनांक	व्याख्याता पद पर कार्यग्रहण दिनांक
1	MANOJ KUMAR	11.06.1984	119	24-08-2018	25-08-2018 मध्याह्न पूर्व
2	RAKESH KUMAR	20.06.1990	146	24-08-2018	01-09-2018
3	CHETNA CHOUDHARY	24.02.1985	129	24-8-2018	29-08-2018
4	RADHIKA MEENA	10.06.1987	169	23-01-2019	11-02-2019 मध्याह्न पूर्व

इस कार्यालय के द्वारा जारी प्राध्यापक अर्थशास्त्र विषय के प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 01.07.2017 में कार्मिक विजय लक्ष्मी साल्वी मेरिट क्रमांक 180 को नियुक्ति प्रदान की गई। अभ्यर्थी विजय लक्ष्मी साल्वी द्वारा राउमावि. सोमाखेडा खेरवाडा (223272) उदयपुर में दिनांक 07.07.2017 मध्याह्न पश्चात् कार्यग्रहण कर लिया गया।

उपर्युक्त अभ्यर्थी के अभ्यावेदन का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर याचिका संख्या 6220/20 के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 30.07.2020 एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा व्याख्याता एवं समकक्ष अभ्यर्थियों के चयन उपरान्त विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों के पदस्थापन राजस्थान सेवा नियम-8 के तहत नियत मानदेय/विद्यमान वेतनमान (पूर्व से सेवारत) पर दो वर्ष के परिविक्षाधीन प्रशिक्षण काल में की गई थी। उपर्युक्त उल्लिखित अभ्यर्थियों में से कनिष्ठ वरीयताधारी विजय लक्ष्मी साल्वी (मेरिट क्रमांक 180) का पदस्थापन इस कार्यालय के उपर्युक्त उल्लिखित आदेश दिनांक 01.07.2017 द्वारा किया गया था, जिसके क्रम में विजय लक्ष्मी साल्वी द्वारा दिनांक 07.07.2017 मध्याह्न पश्चात् को कार्यग्रहण किया। कनिष्ठ अभ्यर्थियों को भी वरिष्ठता एवं वेतन वृद्धि एवं अन्य परिलाभ परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर ही देय हुए हैं।

विजय लक्ष्मी साल्वी द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरान्त से नियमित वेतन श्रृंखला एवं ग्रेड-पे प्रदान किये गये। माननीय न्यायालय निर्णयानुसार उपर्युक्त उल्लेखित याचिकार्थियों के द्वारा

परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने की तिथी (स्थाईकरण) से कनिष्ठ वरीयता धारित कार्मिक विजय लक्ष्मी साल्वी द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी वरीयता के अनुसार ही उपर्युक्त याचिकार्थी ही वरिष्ठता के समस्त लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे, परन्तु वे सभी नोशनल परिलाभ के ही हकदार होंगे। उपर्युक्तानुसार अभ्यावेदन निस्तारण किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित होंगे।


(गौरव अग्रवाल)

आईएस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक- 15/03/23

क्रमांक-शिविरा-मा/संस्था/सी-5/मनोज कुमार अर्थशास्त्र/नोशनल/या.स.-6220/2020

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान सरकार जयपुर।
02. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान सरकार जयपुर।
03. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
04. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
05. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
06. जि.शि.अ. (माध्य-विधि) जोधपुर।
07. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
08. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
09. संबंधित प्राधानाचार्य/संबंधित कार्मिक।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।

Rajasthan Education Department



सत्यमेव जयते



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित व्याख्याता भर्ती परीक्षा-2015 के अभ्यर्थियों के चयनोपरान्त इस कार्यालय को भिजवाई गई अभिस्तावना के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक:-शिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/नियुक्ति-भूगोल/पीएससी-15/2017 दिनांक 28.06.2017 द्वारा अभ्यर्थियों के प्रथम नियुक्ति आदेश जारी किये गये। तत्पश्चात् आरपीएससी से अभिस्तावना, आवेदन पत्रों की जांच एवं रिशफल परिणाम एवं विविध कारणों के आधार पर शेष अभ्यर्थियों के आदेश दिनांक 28.06.2017 के पश्चात् जारी किये गये। जिसके क्रम में अन्तिम नियुक्ति आदेश दिनांक-24.12.19 को जारी किया गया। इस प्रकार दिनांक 28.06.2017 के पश्चात् जारी होने वाले आदेशों से संबंधित अभ्यर्थियों (भंवरा राम थालोड व अन्य) द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 13186/2019 भंवरा राम थालोड व अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर कर आरपीएससी वरीयता में स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य पारिणामिक लाभ दिये जाने की मांग की गई।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने एस.बी.सिविल याचिका संख्या 13186/2019 भंवरा राम थालोड व अन्य बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.09.2019 में याचिका को एस.बी.सी.या.स. 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 16.07.2014 तथा एस.बी.सी.या.स. 19179/2017 कृष्णलाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 30.10.2017 से कवर्ड करते हुए आदेशित किया है If the respondent no-2 decideds to place the petitioners above in seniority than the candidates who stood lower in merit, than the petitioners would be entitled to all benefits of seniority but the would be entitled only to notional benefits.

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थीगण भंवरा राम थालोड व अन्य निम्नांकित अभ्यर्थियों द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये जिनमें मुख्य रूप से इनके द्वारा आदेश दिनांक 28.06.2017 के अनुसार स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक नियुक्त कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ की मांग की है।

क्र. सं.	नाम कार्मिक	जन्म दिनांक	मेरिट नं०		व्याख्याता पद पर नियुक्ति आदेश दिनांक	व्याख्याता पद पर कार्यग्रहण दिनांक
			OLD	NEW		
1	BHANWARA RAM THALOR	31.07.1983	915	914	28-06-2017	03-07-2017 मध्याह्न पश्चात
2	SHORABH BIRAT	20.07.1988	836	830	30-06-2017	05-07-2017 मध्याह्न पश्चात
3	RAJENDER SINGH	04.04.1989	516	498	30-06-2017	05-07-2017 मध्याह्न पूर्व
4	BABLI JATAV	05.08.1983	751	721	30-06-2017	03-07-2017 मध्याह्न पूर्व
5	YASHWANT SINGH RAO	15.07.1988	593	539	30-06-2017p589	07-07-2017 मध्याह्न पूर्व
6	PAWAN KUMAR ATAL	03.02.1985	728	741	30-06-2017	02-07-2017 मध्याह्न पूर्व
7	AJEET SINGH AWANA	04.02.1985	564	571	30-06-2017	05-07-2017 मध्याह्न पूर्व
8	HARKESH MEENA	19.07.1987	884	847	30-06-2017	08-07-2017 मध्याह्न पूर्व
9	ARVIND KUMAR MEENA	01.01.1988	967	974	30-06-2017	08-07-2017 मध्याह्न पूर्व
10	KAMLESH KUMAR MEENA	31.12.1987	796	768	30-06-2017	04-07-2017 मध्याह्न पूर्व
11	MANISH KUMAR TANWAR	30.07.1979	904	908	30-06-2017	08-07-2017 मध्याह्न पूर्व
12	LAKHVEER SINGH	15.07.1986	336	345	29-06-2017	08-07-2017
13	PRADHUMAN SINGH	01.07.1979	507	369	30-06-2017	06-07-2017 मध्याह्न पूर्व
14	CHENA RAM	02.01.1987	286	245	29-06-2017	04-07-2017 मध्याह्न पूर्व
15	ASHOK KUMAR	20.11.1988	962	935	30-06-2017	04-07-2017 मध्याह्न पूर्व
16	ANOOP SINGH	13.07.1985	710	693	30-06-2017	04-07-2017 मध्याह्न पूर्व
17	RATAN LAL MEENA	08.07.1984	979	973	30-06-2017	04-07-2017 मध्याह्न पूर्व
18	REKHA RAM	01.07.1985	548	548	30-06-2017	03-07-2017 मध्याह्न पश्चात
19	RAKESH KUMAR BASETHIYA	01.08.86	850	784	30-06-2017	05-07-2017
20	UMMED SINGH GURJAR	20.06.1986	924	939	28-06-2017	05-07-2017 मध्याह्न पूर्व

21	RAJESH KUMAR	01.07.1982	62	56	29-06-2017	03-07-2017 मध्याह्न परवात
22	KAMLESH KUMAR JAT	26.02.1990	654	671	30-06-2017	05-07-2017 मध्याह्न पूर्व
23	MANISH KUMAR KUNDARA	13.03.1988	893	899	30-06-2017	07-07-2017 मध्याह्न पूर्व
24	MEETHA LAL MEENA	03.07.1982	738	747	30-06-2017	03-07-2017 मध्याह्न पूर्व
25	JAGDISH KUMAR	01.05.82	912	891	30-06-2017	04-07-2017
26	SURAJ SINGH KABAWAT	05.06.1985	458	394	29-06-2017	07-07-2017 मध्याह्न पूर्व
27	TARA RAM	07.07.1991	322	289	29-06-2017	03-07-2017 मध्याह्न पूर्व
28	YADVENDAR	01.08.1983	535	554	30-06-2017	04-07-2017 मध्याह्न पूर्व
29	ANIL RAJ	02.11.1988	514	471	30-06-2017	03-07-2017 मध्याह्न पूर्व
30	KANHAIYA LAL	31.07.1984	695	618	30-06-2017	03-07-2017 मध्याह्न पूर्व
31	MANOJ KUMAR MEENA	05.12.1992	555	601	30-06-2017	03-07-2017 मध्याह्न पूर्व
32	MUKESH KUMAR JILOVA	24.09.1990	750	808	30-06-2017	03-07-2017 मध्याह्न पूर्व
33	MEGHARAM MEENA	03.04.1991	422	360	29-06-2017	03-07-2017 मध्याह्न पूर्व
34	SUSHILA JAT	12.09.1991	1101	1100	28-06-2017	01-07-2017 मध्याह्न परवात
35	NAND KISHOR GURJAR	27.02.88	413	482	29-06-2017	04-07-201789
36	BRIJ MOHAN MEENA	10.10.1991	895	888	30-06-2017	03-07-2017 मध्याह्न पूर्व
37	SUNITA MEENA	15.02.1993	1024	1023	28-06-2017	03-07-2017 मध्याह्न पूर्व
38	UMESH KUMAR KUMAWAT	01.07.1983	480	486	29-06-2017	03-07-2017 मध्याह्न पूर्व
39	RAM SWAROOP JAT	10.08.1987	298	339	29-06-2017	14-08-2017 मध्याह्न पूर्व
40	DEEPAK ROTWAL	10.03.1984	84	48	29-06-2017	05-07-2017 मध्याह्न पूर्व
41	OM PRAKASH BALAI	01.08.87	890	868	30-06-2017	04-07-2017
42	SATISH CHAND MAHAWAR	13.02.1990	930	928	30-06-2017	03-07-2017 मध्याह्न पूर्व
43	REKHA JANGIR	18.03.1983	33	30	28-06-2017	03-07-2017 मध्याह्न परवात
44	SUBHASH KUMAR	07.07.86	166	184	29-06-2017	05-07-2017 मध्याह्न पूर्व
45	GANESH LAL MEGHWAL	01.01.1991	747	626	30-06-2017	03-07-2017 मध्याह्न पूर्व
46	RAJENDRA KUMAR BUNKAR	01.06.1987	903	901	30-06-2017	03-07-2017 मध्याह्न पूर्व
47	SHANTANU DAGUR	25.03.1984	552	472	30-06-2017	05-07-2017 मध्याह्न पूर्व
48	MAHESH CHAND MEENA	15.05.1992	792	800	30-06-2017	03-07-2017 मध्याह्न पूर्व
49	KAMLESH KUMAR MEENA	15.01.1986	762	753	30-06-2017	04-07-2017 मध्याह्न पूर्व
50	PEETAM MAHAWAR	17.10.90	913	876	30-06-2017	05-07-2017 मध्याह्न पूर्व
51	DAMODAR PRASAD VERMA	21.06.1989	950	940	30-06-2017	05-07-2017 मध्याह्न पूर्व
52	LOKENDRA KUMAR MEENA	13.09.86	963	927	30-06-2017	03-07-2017
53	DUNGAR RAM	19.05.1987	990	959	30-06-2017	05-07-2017 मध्याह्न पूर्व
54	LALIT KUMAR MOBARSA	03.03.1986	916	899	30-06-2017	08-07-2017 मध्याह्न पूर्व
55	ROOP RAM GODARA	22.07.1985	687	669	30-06-2017	05-07-2017 मध्याह्न पूर्व
56	SATYANARAYAN	09.04.1992	634	6049	30-06-2017	04-07-2017 मध्याह्न पूर्व
57	SHIV PRASAD MEENA	01.12.1978	945	926	30-06-2017	04-07-2017 मध्याह्न पूर्व

58	TARA CHAND	09.05.1990	604	568	30-06-2017	05-07-2017 मध्याह्न पूर्व
59	INDRAJ GURJAR	08.10.1984	456	461	29-06-2017	01-07-2017 मध्याह्न पूर्व
60	RAMNIWASH KUMAWAT	15.05.1985	656	664	30-06-2017	07-07-2017 मध्याह्न पूर्व
61	RAJURAM PRAJAPAT	10.07.1983	684	577	30-06-2017	04-07-2017 मध्याह्न पूर्व

इस कार्यालय के द्वारा जारी प्राध्यापक भूगोल विषय के प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 28.06.2017 में कार्मिक सुमन मेरिट क्रमांक 1190 को नियुक्ति प्रदान की गई। अभ्यर्थी सुमन द्वारा राउमावि. मेहारा जाटुवास खेतडी (216016) झुंझुनूं में दिनांक 30.06.2017 मध्याह्न पूर्व कार्यग्रहण कर लिया गया।

उपर्युक्त अभ्यर्थी के अभ्यावेदन का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर याचिका संख्या 13186/19 के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 06.09.2019 एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा व्याख्याता एवं समकक्ष अभ्यर्थियों के चयन उपरान्त विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों के पदस्थापन राजस्थान सेवा नियम-8 के तहत नियत मानदेय/विद्यमान वेतनमान (पूर्व से सेवारत) पर दो वर्ष के परिविक्षाधीन प्रशिक्षण काल में की गई थी। उपर्युक्त उल्लिखित अभ्यर्थियों में से कनिष्ठ वरीयताधारी सुमन (मेरिट क्रमांक 1190) का पदस्थापन इस कार्यालय के उपर्युक्त उल्लिखित आदेश दिनांक 28.06.2017 द्वारा किया गया था, जिसके क्रम में सुमन द्वारा दिनांक 30.06.2017 मध्याह्न पूर्व को कार्यग्रहण किया। कनिष्ठ अभ्यर्थियों को भी वरिष्ठता एवं वेतन वृद्धि एवं अन्य परिलाभ परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर ही देय हुए हैं।

सुमन द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरान्त से नियमित वेतन श्रृंखला एवं ग्रेड-पे प्रदान किये गये। माननीय न्यायालय निर्णयानुसार उपर्युक्त उल्लेखित याचिकार्थियों के द्वारा परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने की तिथी (स्थाईकरण) से कनिष्ठ वरीयता धारित कार्मिक सुमन द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी वरियता के अनुसार ही उपर्युक्त याचिकार्थी ही वरिष्ठता के समस्त लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे, परन्तु वे सभी नोशनल परिलाभ के ही हकदार होंगे। उपर्युक्तानुसार अभ्यावेदन निस्तारण किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित होंगे।


(गौरव अग्रवाल)
आईएएस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक- 15/03/23

क्रमांक-शिविरा-मा/संस्था/सी-5/भंवरा राम थालोड/नोशनल/या.स.-13186/2019

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान सरकार जयपुर।
02. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान सरकार जयपुर।
03. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
04. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
05. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
06. जि.शि.अ. (माध्य-विधि) जोधपुर।
07. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
08. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
09. संबंधित प्राधानाचार्य/संबंधित कार्मिक।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कायालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित व्याख्याता भर्ती परीक्षा-2015 के अभ्यर्थियों के चयनोपरान्त इस कार्यालय को भिजवाई गई अभिस्तावना के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक:-शिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/ नियुक्ति- भूगोल/ पीएससी-15/2017 दिनांक 28.06.2017 द्वारा अभ्यर्थियों के प्रथम नियुक्ति आदेश जारी किये गये। तत्पश्चात् आरपीएससी से अभिस्तावना, आवेदन पत्रों की जांच एवं रिशफल परिणाम एवं विविध कारणों के आधार पर शेष अभ्यर्थियों के आदेश दिनांक 28.06.2017 के पश्चात् जारी किये गये। जिसके क्रम में अन्तिम नियुक्ति आदेश दिनांक-24.12.19 को जारी किया गया। इस प्रकार दिनांक 28.06.2017 के पश्चात् जारी होने वाले आदेशों से संबंधित अभ्यर्थी (विकास गढवाल) द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 11130/2022 ~~सरोज~~ कुमारी व अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर कर आरपीएससी वरीयता में स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य पारिणामिक लाभ दिये जाने की मांग की गई।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11130/2022 ~~सरोज~~ कुमारी व अन्य बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.08.2022 में याचिका को एस.बी.सी.या.स. 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 16.07.2014 तथा एस.बी.सी.या.स. 19179/2017 कृष्णलाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 30.10.2017 से कवर्ड करते हुए आदेशित किया है "If the respondent no-2 decides to place the petitioners above in seniority than the candidates who stood lower in merit, than the petitioners would be entitled to all benefits of seniority but the would be entitled only to notional benefits".

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थी विकास गढवाल द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गयाचव जिनमें मुख्य रूप से इनके द्वारा आदेश दिनांक 28.06.2017 के अनुसार स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक नियुक्त कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ की मांग की है।

क्र. सं.	नाम कार्मिक	जन्म दिनांक	मेरिट नं०		व्याख्याता पद पर नियुक्ति आदेश दिनांक	व्याख्याता पद पर कार्यग्रहण दिनांक
			OLD	NEW		
1	VIKAS GADHWAL	15.10.1991	579	504	30-06-17	01-07-2017

इस कार्यालय के द्वारा जारी प्राध्यापक भूगोल विषय के प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 28.06.2017 में कार्मिक सुमन मेरिट क्रमांक 1190 को नियुक्ति प्रदान की गई। अभ्यर्थी सुमन द्वारा राउमावि. मेहारा जाटुवास खेतडी (216016) झुंझुनूं में दिनांक 30.06.2017 मध्याह्न पूर्व कार्यग्रहण कर लिया गया।

उपर्युक्त अभ्यर्थी के अभ्यावेदन का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर याचिका संख्या 11130/2022 के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 04.08.2022 एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा व्याख्याता एवं समकक्ष अभ्यर्थियों के चयन उपरान्त विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों के पदस्थापन राजस्थान सेवा नियम-8 के तहत नियत मानदेय/विद्यमान वेतनमान (पूर्व से सेवारत) पर दो वर्ष के परिविक्षाधीन प्रशिक्षण काल में की गई थी। उपर्युक्त उल्लिखित अभ्यर्थियों में से कनिष्ठ वरीयताधारी सुमन (मेरिट क्रमांक 1190) का पदस्थापन इस कार्यालय के उपर्युक्त उल्लिखित आदेश दिनांक 28.06.2017 द्वारा किया गया था, जिसके क्रम में सुमन द्वारा दिनांक 30.06.2017 मध्याह्न पूर्व को कार्यग्रहण किया। कनिष्ठ अभ्यर्थियों को भी वरिष्ठता एवं वेतन वृद्धि एवं अन्य परिलाभ परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर ही देय हुए हैं।

सुमन द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरान्त से नियमित वेतन श्रृंखला एवं ग्रेड-पे प्रदान किये गये। माननीय न्यायालय निर्णयानुसार उपर्युक्त उल्लेखित याचिकार्थियों के द्वारा परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने की तिथि (स्थाईकरण) से कनिष्ठ वरीयता धारित कार्मिक सुमन द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी वरीयता के अनुसार ही उपर्युक्त याचिकार्थी ही वरिष्ठता के समस्त लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे, परन्तु वे सभी नोशनल परिलाभ के ही हकदार होंगे। उपर्युक्तानुसार अभ्यावेदन निस्तारण किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित होंगे।

सत्यमेव जयते

(गौरव अग्रवाल)

आईएसएस
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक- 15/03/23

क्रमांक-शिविरा-मा/संस्था/सी-5/विकास गढवाल भूगोल/नोशनल/या.स.-11130/2022

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान सरकार जयपुर।
- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान सरकार जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
- जि.शि.अ. (माध्य-विधि) जोधपुर।
- विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
- सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
- संबंधित प्राधानाचार्य/संबंधित कार्मिक।
- निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर